

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक:सा0-3453 / मी0क्षे0 / 33/ दिनांक, मीरजापुर, मार्च 25, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय- जनपद-सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, (एल0डब्लू0ई0)के अन्तर्गत आर0 पी0 के कि0मी0 45.00 से चरगड़ा, मौँची, देवहार, दरेंव, मड़पा सम्पर्क मार्ग कि0मी0 00.00 से 22.00 तक के निर्माण हेतु कुल 15.255 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र का पत्र संख्या 1653/सो0/33, दिनांक 11.02.2019 तथा पत्रांक 1751/सोनभद्र/33, दिनांक 01.03.2019

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद-सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, (एल0डब्लू0ई0)के अन्तर्गत आर0 पी0 के कि0मी0 45.00 से चरगड़ा, मौँची, देवहार, दरेंव, मड़पा सम्पर्क मार्ग कि0मी0 00.00 से 22.00 तक के निर्माण हेतु कुल 15.255 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव जिसकी ऑन लाइन संख्या एफ0पी0/यू0पी0/आर0ओ0एडी/34160/2018 है की संस्तुति सहित 04 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रस्ताव इस स्तर से ऑनलाइन सबमिशन करते हुए तीन प्रतियों में एतदसह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा) 25/3
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में जब तक भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की जाती है तब तक किसी भी दशा में गैर वानिकी कार्य न होने दें अन्यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव सं० FP/UP/ROAD/34160/2018

विषय:—जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्ल्यू०ई०) के अन्तर्गत "आर०पी०के० किमी० 45 से चरगाड़ा, माची, देवहर, दरेब, मड़पा सम्पर्क मार्ग" कि.मी. 00.000 से 22.000 तक के निर्माण हेतु कुल 15.255 हेक्टे० वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

14. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)
यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं।

15. क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।

हाँ।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

जनपद सोनभद्र के नक्साल प्रभावित क्षेत्र में प्रस्तावित मार्ग के उन्नीकरण से सुरक्षा बलों का निर्दोष एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित होवे तथा नक्साल गतिविधियों के उन्मूलन में प्रभावी कार्रवाई हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव की स्वीकृति किये जाने की संस्तुति सहित उपलब्ध है।

स्थान - भीरवापुर

दिनांक - 25-03-2019

मुख्य क्षेत्र अधिकारी
भीरवापुर क्षेत्र
भीरवापुर